न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कंवर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 60 सन 2020

अनवान :–

1. विक्रमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1. संजयकंवर पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्योप्यार कंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मनीकंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. ओमकंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. भीमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. पप्पूसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. अजीतसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत साकिन मुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेशकार राज
निर्णय दिनांक :– 20/7/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही गोजा मुन्सारी के खसरा न0 63/2 की 19.2730हैक भूमि वादी के पिता मेघसिंह पुत्र विशालसिंह के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता मेघसिंह पुत्र विशालसिंह का देहान्त दिनांक 20.10.1994 को हो चुका है मेघसिंह पुत्र विशालसिंह के जायत व कानुगी वारीसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ही है मेघसिंह पुत्र विशालसिंह के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मेघसिंह के नाम से दर्ज भूमि के बहिव के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति मेधसिह पुत्र विशालसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मेधसिह पुत्र विशालसिह के जायज व कानुनी वारसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो मेधसिह पुत्र विशालसिह के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 63/2 की 19.2730हैक भूमि वादी के पिता मेधसिह पुत्र विशालसिह के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता मेधसिह पुत्र विशालसिह का देहान्त दिनांक 20.10.1994 को हो चुका है मेधसिह पुत्र विशालसिह के जायत व कानुनी वारीसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ही है मेधसिह पुत्र विशालासिह के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मेधसिह के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 63/2 की 19.2730हैक भूमि वादी के पिता मेघसिह पुत्र विशालसिह के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के पिता मेघसिह पुत्र विशालसिह का देहान्त हो गया विशालसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो जगमाल के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनो की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 4 जो वादी की बहने/माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 169 के खसरा न0 63/2 की 19.2730हैक में भूमि वादी के पिता मेघसिह पुत्र विशालसिह के नाम से 18008/19273 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विक्रमसिह पुत्र मेधसिह जाति राजपूत निवासी गुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रांजयकवंर पत्नी मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्योप्यार कवर पुत्री मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीकंवर पुत्री मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. ओमकंवर पुत्री मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. नरेन्द्रसिह पुत्र मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. भीमसिह पुत्र मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. पप्पूसिह पुत्र मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. अजीतसिह पुत्र मेधसिह जाति राजपूत साकिन गुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 60 सन 2020 निर्णय दिनांक– 20/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गुन्सरी के खाता संख्या 169 के खसरा न0 63/2 की 19.2730हैक में भूमि वादी के पिता मेधसिह पुत्र विशालसिह के नाम से 18008/19273 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को बहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner